

फर्द-अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)
 प्रकरण संख्या- 32/2024
 बनाम.....

न्यायालय

अन्तर्गत धारा:-.....

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

उपस्थित है
 वकील वादी द्वारा
 पत्रावली पर कार्यवाही नहीं चलेगी

23/11/24
 पत्रावली पेश हुई वकील वादी श्री मदनवीर गुजर उपस्थित है।
 वकील वादी द्वारा पत्रावली में न्यायालय समक्ष निवेदन किया
 गया कि वादी पत्रावली पर कार्यवाही नहीं चलेगी है।
 अतः वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। वकील
 वादी के मुक्त गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली कोडेशन पर
 रिप्ली दर्ज की गई। (प्रकरण में कोई प्रतिलिपि दावा पेश नहीं किया
 गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही को प्रकृत नहीं
 रह जाती है। अतः वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त
 की जाती है। पत्रावली फेरव्य शुभकर है। नम्बर के क्रम से कर
 दारिबल दफ्तर हो।

अध्यापक अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)

अध्यापक अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)

19/11/2024

19/11/2024

19/11/2024

19/11/2024

19/11/2024